राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः— एफ2(3)/लागत/1040/ 310

दिनांकः 03/09/12

—:: कार्यालय आदेश ::—

विषयः— शहरी जमाबन्दी की एक मुश्त जमा।

शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.3(65)नविवि/3/06 दिनांक 02.11.2007 की अनुपालना में संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 216.30 दिनांक 16.8.2012 में लिये गये निणर्य अनुसार आठ वर्ष की एक मुश्त लीज राशि जमा कराने पर आवॅटी अवशेष अवधि के लिये वार्षिक शहरी जमाबन्दी के दायित्व से मुक्त होगा।

जिन आवंटियों ने आवॅटन के समय एक वर्ष की शहरी जमाबन्दी की राशि अग्रिम जमा करा रखी है तो सात वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी राशि जमा कराने पर अवशेष अवधि के लिये वार्षिक शहरी जमाबन्दी के दायित्व से मुक्त होगें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1— निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा०आ०म०, जयपुर।
2— व०निजी सहायक—सचिव/वि०स० एवं मुख्य लेखाधिकारी/अति०मु० अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/रा०आ०म०, जयपुर।
3— मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म०, जयपुर।
4— समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... रा०आ०मण्डल, ...।
5— समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... रा० आ० मण्डल, ...।
6— लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त, ...।
7— रक्षित फाईल।

वित्तीय सलाहकार

216th Board Meeting Dated 16-8-2012